GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAY) (RAILWAY BOARD)

No.2016/F (E)III/1 (1)/3

New Delhi, Dated: 23.04.2020.

The GMs/Principal Financial Advisers, All Zonal Railways/Production Units etc., (As per mailing list).

Subject: Exits and Withdrawals under the National Pension System - reg.

A copy each of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)'s Gazette Notification No.PFRDA/12/RGL/139/8 dated 10.08.2017, 06.10.2017, 02.02.2018, 18.05.2018, 19.02.2019 & 20.09.2019 issued in amendment of the various provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 are enclosed herewith for information and compliance. The portion of the Notifications concerning 'Government Sector Subscribers' shall apply mutatis mutandis on Railways also.

 The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 mentioned in the Gazette Notifications enclosed herewith were adopted on Railways vide letter of even number dated 27.05.2016.

G. Priya Sugarsani

(G. Priya Sudarsani) Director, Finance (Estt.) Railway Board.

No.2016/F (E)III/1 (1)/3

New Delhi, dated:23.04.2020.

Copy to:-Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

G. Priya Sugarsani

For Financial Commissioner/Railways

No. 2016/F(E)III/1(1)/3

New, Delhi, Dated:23.04.2020.

- 1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- 3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
- 4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
- The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
- 7. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
- 11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan.
- 13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.
- 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
- 14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation AlOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

For Secretary, Railway Board.

New Delhi, Dated:23.04.2020

No. 2016/F(E)III/1(1)/3

Copy to:-EDPG to MR, EDPG to MOS(R), EDPG-II to MOS(R), APS to MOS(R)

PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs to Chairman, Railway Board, Financial Commissioner (Railways), Member Traffic, Member Engineering, Member Staff, Member Rolling Stock,

Member Traction, Member (Signal & Telecom), Member (Material Management), Secretary, Railway Board. DG(RHS), DG(RPF), DG/Pers .All additional Members, Advisers, All Executive Directors, IG/RPSF, JS, JS(G), JS(E), JS(E)-II, JS(G)-II/Railway Board.

Copy to Section's Yearly Guard File.

No. 2016/F(E)III/1(1)/3

New, Delhi, Dated:23.04.2020

Copy to :-

- The Director General and Ex Officio General Manager, RDSO/Lucknow.
- The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata
- 3. The Director General, National Academy of Indian Railways (NAIR)/ Vadodara
- 4. The General Manager, Modern Coach Factory, Lala Ganj, Raebareli, U.P.-229120.
- The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
- The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL. RAILTEL and Managing Director, CRIS, IRWO
- 7. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/ New Delhi
- 8. The Chairman, RCT/Delhi
- 9. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
- 10. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
- The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow
- 12. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, Near Safdarjung Railway Station, Moti Bagh-1, New Delhi 110 021
- 13. The CAO, Indian Railway Organisation for Alternate Fuels, 12th floor, Core 1, Scope Minar, District Centre, Laxmi Nagar, Delhi -92.

(Copy to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) with respect to their Gazette Notification No.PFRDA/12/RGL/139/8 dated 10.08.2017, 06.10.2017, 02.02.2018, 18.05.2018, 19.02.2019 & 20.09.2019)

.



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 315]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/ SRAVANA 19, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम. 2017

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत-:

- 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 है।
- 2. यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम,
 2017 में,:-
- (I) विनियमन 2 में, उप-विनियमन (1) में, उपखंड (ञ) के पश्चात निम्न नयें उपखंड जोड़े जायेंगे|
- (ट) इस विनियमन के प्रयोजन के लिए "प्रत्याहरण" का अर्थ होगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते का समापन, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के होने की तिथि से, लागू हो सकता है
 - (I) रोजगार की शर्तों के अनुसार रोजगार से अधिशेष/सेवानिवृत्त होने वाला एक अभिदाता

4854 GI/2017 (1)

- (II) अभिदाता की साठ साल की आयु का होना, और सदस्यता को जारी रखने के विशेष अनुमित के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं में किया है, ऐसे अतिरिक्त अविध तक, योगदान देने के साथ या बिना उसके.
- (III) ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र, या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है, या अभिदाता द्वारा एक निश्चित अनुमत समय अविध तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता हैं और, इस अविध से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती हैं;
- (IV) अभिदाता द्वारा खाते की स्वैच्छिक समापन, ऐसे मामलों में जहां इसकी अनुमित दी है और उस तिथि पर जब अभिदाता के खातें कों प्रणाली में बंद किया जायेगा।

परन्तु, एक अभिदाता को उप-खंड (i) से (iv) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरीत का समझा जायेगा, बावजूद इसके की अभिदाता या उसके लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त होने वाले ऐसे दावे निकास/भुक्तातन के लिए लंबित हो।

परन्तु, जहां एक अभिदाता सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे "प्रत्याहरण" के रूप में नहीं माना जाएगा और उसे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने का विकल्प होगा यदि उसके नये सेवा में या सवेक्षिक रूप में एक नागरिक की तरह, तब तक अभिदाता इन विनियमों के तहत दावा नहीं करते।

- (ठ) इन विनियमों में उपयोग किए जाने वाले "स्थगित" या "विलंब" अभिव्यक्ति का मतलब होगा कि एक अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण पर एक अभिदाता के लिए स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने के दावों का विलंबन या स्थगितकरण करना।
 - (II) विनियमन 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –
- 3. सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास- सरकारी क्षेत्र के तहत कोई अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से नीचे विनिर्दिष्ट रीतियों में बाहर निकल जाएंगे, अर्थात्: -
- (क) जहां अभिदाता, जो उसे लागु सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, वहां ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन संपदाओं में से कम से कम चालीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी करने के लिए उपयोजित की जाएगी और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप में अभिदाता को संदत्त्त किया जायेगा या उसके पास ऐसे शेष पेंशन धन लेने को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, अभिदाता के हित के लिए लिया जायेगा, लेने का विकल्प होगा।

परन्तु :

- (i) निम्न डिफाल्ट वार्षिकी संविदा होगी जो कि लागू होगी और जिसके अंतर्गत् वार्षिकी संविदा में अभिदाता को जीवन के लिए वार्षिकी और उसके पित या पत्नी (यदि कोई हो) के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी:
- (क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;
- (ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिए उन वार्षिकी के प्रकारों में से जो प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, चुनना होगा।

इसके अलावा, उन अभिदाता को जो उपरोक्त वर्णित डिफाल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिर्की संविदा का चयन करना चाहते हैं अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते हैं, उस विकल्प को चुनाव विशेषरूप से करना अपेक्षित होगा।

- (II) जहां अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के पशचात अतिशेष रकम के प्रत्याहरण की वांछा करता है वहां ऐसे अभिदाता के पास तब एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थिगत करने का विकल्प होगा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हैं, परन्तु अभिदाता, केन्द्रीय रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकरण द्वारा बताये प्रकार या प्रपत्र द्वारा, किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पंद्रह दिन पहले लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी।
- (III) जहां अभिदाता वार्षिकी के क्रय को आस्थिगित करने की वांछा करता या करती है, वहां उसके पास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अविध के लिए ऐसा करने का विकल्प होगा परंतु अभिदाता, केन्द्रीय रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी। वार्षिकी क्रय करने को ऐसे आस्थिगित करने के विकल्प की एक पुरोभाव्य शर्त यह होगी कि यदि अभिदाता की मृत्यु आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय किए जाने की ऐसी नियत तारीख के पहले हो जाती है तो वार्षिकी अनिवार्य रूप से पित या पत्नी द्वारा (यदि कोई हो) वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ पित या पत्नी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करने के लिए क्रय की जाएगी और ऐसे पित या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके वार्षिकी के क्रय के समय पर विद्यमान प्रीमियम दर पर इसके अधीन उपबंधित अधिमानता के क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी:
- (क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;
- (ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोन्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

- (iv) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंगत अंतर्गत एकमुश्त रकम के या वार्षिकी क्रय करने को स्थगित करना चाहता है तो व्यक्तिगत पेंशन खाते/स्थायी रिटायरमेंट खाते के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत देय शुल्क खर्चा एवं रखरखाव शुल्क हे, वह लागू रहेंगे;
- (V) जहां अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रुपए की धनराशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में परिभाषित सीमा जो कि, जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, अभिदाता को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या सरकार से ऐसी कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा;
- (VI) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म को भर के व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक जमा करने का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केन्द्रीय रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य मध्यवर्ती या इकाई को बतायेगा। विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थिगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाताओं को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केंद्रीय रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकाल सकते हैं;

(ख) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा या उसके पास ऐसे शेष पेंशन धन लेने के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, अभिदाता के हित में का विकल्प होगा।

परंतु वार्षिकी संविदा में अभिदाता और उसका पित या पत्नी (यदि कोई हो) के जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी

- (क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;
- (ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोन्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को जो उस समय उपलब्ध वार्षिक वार्षिकी के प्रकारों में से जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे, चुनना होगा,

इसके अलावा, उन अभिदाता को जो उपर्युक्त उपलब्ध वार्षिकी डिफ़ॉल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते हैं, अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते हैं, उस विकल्प का चुनाव विशेषतज्ञ से करना आपेक्षित होगा।

परन्तु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक है या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक किन्तु अभिदाता की आयु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यनूतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य पर उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को, विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ग) जहां ऐसा अभिदाता, जिसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और अतिशेष पेंशन धन एकमुश्त रूप या प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य दिये विकल्पों में से, ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा:

परन्तु:

(I) वार्षिकी संविदा में पित या पत्नी (यदि कोई हो) को जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, वार्षिकी का उपबंध और ऐसे पित या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी:

- (क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रितमाता
- (ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोन्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, जो लागू हो, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को अपनी पसंद की ऐसी वार्षिकी के क्रय लिए विकल्प का उपयोग करना होगा, जो उस समय उपलब्ध वार्षिक वार्षिकी के प्रकारों जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे

- (II) परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रूपये की धन राशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, वहां उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा।
- (III) (i) विनियमन 4 के उप-धारा (क) से प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा परन्तु:
- (I) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जारी रखना चाहता हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अपने सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहता हैं, तो उसे इसका विकल्प उपलब्ध होगा और लिखित रूप से या निर्धारित प्रपत्र में आयु बतानी होगी जो कि सत्तर वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इस तरह के विकल्प का उपयोग साठ वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, केन्द्रीय रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी मध्यवर्ती या इकाई को बताना होगा। इस विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ के स्थिगित करने के अन्य विकल्प उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने के बावजूद अभिदाता, किसी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अनुरोध के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय बाहर निकल सकता है;

(II) विनियमन 4 की उप-धारा (ख) के अंतिम प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा पेंशन संपत्ति एक लाख रुपए या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियो के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, ऐसे अभिदाता को किसी भी वार्षिकी को खरीदने के बिना पूरे संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का भी विकल्प होगा;

- (III) विनियम 4 के खंड (ग) के खंड (ii) के लिए प्रावधान निम्न प्रकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (II) यदि मृतक अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन भुगतानकर दिया जाएगा।

- (IV) उप-खंड (ख) विनियमन 5 के निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ख) तथापि इस बात के अधीन रहते हुए कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व किसी भी समय संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् अतिशेष संचित पेंशन धन का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा या उसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, उन शेष पेंशन संपत्ति को एकत्र करने का विकल्प होगा जो अभिदाताओं के हित में है;

स्वावलंबन् अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रूपये मासिक वार्षिकी या पेंशन मिलें, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रुपए की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात् अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा। तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपए दी जाएगी;

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक नहीं है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य पर उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, इस सीमा के तहत पेंशन धन को अभिदाता को जिसने स्वावलम्बन सह-योगदान नहीं लिया है, तो बिना किसी वार्षिकी विनियोग के संपूर्ण पेंशन धन का अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा और यह प्रावधान उस अभिदाता पर लागू होगा जिसने स्वावलम्बन सह-योगदान लिए है किन्तु उस अभिदाता ने इस योजना में खाता कम से कम पच्चीस वर्ष तक जारी रखता है;

परन्तु यह और कि अभिदाताओं अथवा स्वावलम्बन अभिदाताओं का भारत सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना में प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गये प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास और आहरण नहीं माना जाएगा।

- (v) विनियमन 6 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 6. निकास और प्रत्याहरण के लिए आवेदन की शर्तें- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकृत कोई अभिदाता का निकास और अभिदाता के स्थायी सेवानिवृति खातें अकाउंट के टियर -1 में संचित पेंशन संपदा से प्रत्याहरण नीचे तथा इसके विनियमो 3,4, 5 और 8 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट विनियमो के सिवाय अनुज्ञात नही होगा:
- (II) उप-विनियमन (ड) निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ड) यदि अभिदाता या मृतक अभिदाता के परिवार के सदस्यों, उनकी मृत्यु के बाद, सरकार या नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मृत्यु या विकलांगता सम्बधी अतिरिक्त राहत के विकल्प का उपयोग करते हैं, तो सरकार या नियोक्ता को अभिदाता के सम्पूर्ण संचित धन अपने पास समयोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। ऐसे फायेदे का उपयोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य ऐसे सरकारी प्राधिकरण या नियोक्ता से कुटुम्ब पेंशन या निःशक्ता पेंशन या कोई अन्य पेंशन संबंधी प्रसुविधा के स्थान पर विनिद्रिष्ट रूप से बिना शर्त सरकार या नियोक्ता को सम्पूर्ण पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। अभिदाता की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का कुटुम्ब पेंशन लेने के साथ ही, किसी भी परिवार व्यक्ति का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार, नामांकित व्यक्ति के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों सहित, कोई अधिकार नही होगा
- (॥) उप-विनियमन (छ) निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आधीन टीयर-I खाते से निकास करने वालें, अभिदाता के टियर II खाते को साथ में बंद कर दिया जाएगा और उस खाते के तहत राशि अभिदाता या उसके नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी जाएगी I
- (II) विनियमन 6 के तहत, उप-विनियमन (छ) के बाद नए उप-विनियमन (ज) निम्न प्रकार से जोड़े जाएंगे:

- (ज) उन अभिदाताओं के संबंध में जिन्होंने नियम 7 के तहत आवेदन जमा नहीं किये है, और साठ साल की आयु प्राप्ति की तिथि या सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र के एक महीने के भीतर जो भी लागु हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने पर मिलने वाले लाभ के लिए, इस तरह के अभिदाताओं (दोनों टीयर-I और टियर II श्रेणी के तहत) के खाते में संचित पेंशन संपत्ति का मुद्रीकरण हो जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग रखा जाएगा। अभिदाता की मुद्रीकृत संचित पेंशन संपत्ति के इस तरह से सुरक्षित रखने पर प्राप्त आय का लाभ उन लाभों का हिस्सा होगा जो अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हकदार है। यह प्रावधान ऐसे अभिदाताओं के संबंध में लागू होंगे जिन्होंने लाभों को किया है या आंशिक रूप से लाभ वापस ले लिया है और इन सपूर्ण लाभों को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों दिशानिर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक है
- (III) उप-विनियमन (छ:) के बाद विनियमन 6 नए उप-नियमन (ज) के तहत निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:
- (ज) मृत अभिदाताओं के संचित पेंशन कोष से उत्पन्न होने वाले दावों का निवारण करने के संबंध में, जहां इन विनियमों में उल्लिखित कोई वैध नामांकन मृत्यु की तारीख में मौजूद नहीं है, प्राधिकरण, उपभोक्ता के उचित हित में, मृतक अभिदाता के परिवार के सदस्यों के पक्ष में ऐसे दावों को विनिर्दिष्ट सीमा तक, ऐसे वारिसों द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने पर, के दावों के निस्तारण के आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है|
- (v) विनियमन 7 का निम्नानुसार रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रत्याहरण की शर्तें.- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने की अपेक्षित तिथि या इससे पहले, अभिदाता इन विनियमों में दिए गए निकास के लाभों को वापस लेने के उद्देश्य से आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापसी आवेदन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी, या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य संस्था को जमा करेगा। सेंट्रल रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विनिर्दिष्ट फॉर्म में किसी अभिदाता द्वारा निकास या प्रत्याहरण के लिए इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर और विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से है प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए नियमों और दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदेश या सूचनाओं के तहत अनुमित दी गई है:प्रणाली से निकास या निकासी की अनुमित दे सकता
- (VI) विनियमन 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 8. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आधीन निम्नलिखित प्रत्याहरण की अनुमित दी जाएगी.- (1)अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संचित पेंशन धन का, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनिधक है, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई हो, अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा-
- (अ) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से ऐसे अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा :-
- (क) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, उच्चतर शिक्षा के लिए ;
- (ख) अपने बच्चों के , जिसे अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, विवाह के लिए ;
- (ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके संन्निर्माण के लिए;
- यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;
- (घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पित या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, या आश्रित माता-पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा:

- (I) कैंसर;
- (li) गुर्दा की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना);
- (lii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन ;
- (Iv) मल्टीपल एक्लराइओसिस;
- (V) प्रमुख अंग प्रत्यारोपण;
- (Vi) कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट;
- (Vii) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी;
- (Viii) हार्ट वाल्व सर्जरी;
- (lx) स्ट्रोक;
- (X) मायोकार्डिअल इन्फेक्शन
- (XI) कोमा;
- (XII) टोटल ब्लांडनेस (पूर्ण रूप अंधता) ;
- (XIII) पेरालेसिस (लकवा) ;
- (XIV) गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना;
- (XV) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाये ।
- (आ) सीमाएं: अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जायेगा यदि अभिदाता लाभों का उपयोग िनम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंड और करने के लिए सीमाओं का अनुपालन करता है:-
- (क) अभिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो ;
- (ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के , आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (ग) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की संपूर्ण अविध के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा। अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्य पणधारी या पणधारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु जहां कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (2) स्थायी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित विधिमान्य और सक्रिय टीयर ।। खाता धारक कोई अभिदाता ऐसे आवेदन प्रारूप पर और ऐसी पद्धित तथा रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रत्याहरण के लिए किसी भी समय आवेदन करके पूरा या भागत: संचित धन का प्रत्याहरण कर सकेगा। ऐसे प्रत्याहरणों की, लागू प्रभारों और प्रत्याहरण रकम को देखते हुए संचित पेंशन धन की पर्याप्त रकम होने तक कोई सीमा नहीं होगी:

परंतु अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होते ही टीयर ।। खाता स्वत: बंद हो जाएगा, भले ही उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आवेदन अभिदाता से प्राप्त नहीं हुआ हो और ऐसे खाते में संचित धनराशि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास संबंधी अभिदाता के आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा ।

- (vii) विनियमन 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 9. प्रत्याहरण की प्रक्रिया- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यासया उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, अभिदाता द्वारा अधिनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों, निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, जहां लागू हों, के अनुसार दर्ज प्रत्याहरण और निकाससे संबंधित दावों पर कार्रवाईकरने और उसका अनुमोदन करने और प्राधिकृत करने के

लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं के प्रत्याहरण और निकास को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त प्रचालन कार्रवाई ऑनलाइन प्रचालन सिहत या मार्गदर्शक सिद्धांत, प्राधिकरण से अनुरूप अनुमोदन लेने के बाद, बनायेगा।

- (VIII) विनियमन 10 की उप-विनियमन (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 10. निकास के समय वार्षिकी क्रय करने की शर्तें- (1) अभिदाता, निकास के समय, अनिवार्य रूप से इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट मासिक या कालिक वार्षिकी या पेंशन के लिए कोई वार्षिकी क्रय करेगा, उन मामलों को छोड़कर जहां छूट दी गई हो या प्रावधान हो और छूट की हो| ऐसी वार्षिकी प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से क्रय की जाएगी |
- (IX) विनियम 32 के, प्रावधानों में, उपखंड (xi) के बाद एक नया उपखंड (xii) जोड़ दिया जाएगा -
- (xii) विनियमन 3 के उपखंड (ग) और विनियमन 4 के उप-खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के संबंध में, जहां इन वैध मानदंडों एंव विनियमों के अनुसार निमित नहीं मौजूद है, मृत्यु के कारण ऐसे अभिदाताओं के बाहर निकलने के समय, नामांकन, यदि अन्य स्वीकार्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसके नियोक्ता के अभिलेखों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए निमित के रूप में माना जाएगा। प्रसंस्करण के लिए दावे को अग्रेषित करते समय, नियोक्ता, अपने अभिलेखों में इस तरह के नामांकन की पृष्टि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी को भेजेगा।
- (X) विनियम 33 और 34 को निरस्त माना जायेगा|
- (XI) विनियमन 35 का निम्नानुसार रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 35. बैंक खाता विवरण प्रदान करना.- इन विनियमों के तहत निकास या प्रत्याहरण का लाभ पाने वाले अभिदाता को बैंक विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड की प्रतिलिपि या आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर (पैन) कार्ड, तािक अभिदाता या लाभार्थियों के बैंक खाते के सीधे निर्धारित लाभ को जमा किया जा सकें।
- (XII) विनियमन 37 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 37. नियोक्ता द्वारा अंतिम महीने की कटोती का रोकना: मासिक नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान, जो लागू है और जो नियोक्ता द्वारा अभिदाताओं के वेतन से उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खातों में जमा किया जायेगा, सेवानिवृत्ति आयु से कम से कम एक महीने पहले रोक दिया जायेगा। नियोक्ता निर्धारित अंशदान जो नियोक्ता से मिलना निर्धारित है को सीधे कर्मचारी के वेतन के साथ अभिदाता को दे देगा।
- XIII) विनियमन 39 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
- 39. प्राधिकरण की निदेश और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति प्राधिकरण को, इन विनियमों के अधीन, यथास्थिति, प्रत्याहरण और निकास से संबंधी उपबंधों को निर्बंधित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिससे किसी ऐसी अन्य पेंशन या अधिवर्षिका स्कीमों, जो अधिनियम के अधीन नहीं आती हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अपेक्षाओं का पालन हो।
- (2) प्राधिकरण इन विनियमों या प्रावधानों को लागू करने या उसके निर्वचन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है।

हेमंत जी कोंट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/179/17]

पाद लेख:

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र में 11 मई, 2015 को सं. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-
- (I) In regulation 2, in sub-regulation (1), the following new clauses shall be added after sub-clause (j)-
 - (k) "Exit" for the purpose of this regulation shall mean closure of individual pension account of the subscriber under National Pension System, upon and on the date of happening of any of the following events, as may be applicable:
 - (i) a subscriber having superannuated/retired from employment, as per the terms of such employment;
 - (ii) a subscriber having attained the age of sixty years, and where so specifically permitted has not exercised a choice in writing to continue to remain subscribed to such system, till such further period as is permissible, with or without making contributions;
 - (iii) death of the subscriber before attaining the age of superannuation, or the age of sixty years, or in cases where an option has been exercised by subscriber to continue to remain subscribed to a certain permissible time period, death before expiry of such period;
 - (iv) voluntary closure of the account by the subscriber, in cases where so permitted and on the date on which such closure is effected in the system;

Provided that a subscriber shall be deemed to have exited from National Pension System, in accordance with sub-clause (i) to (iv) notwithstanding that no claims have been received by or on behalf of the subscriber or such claims having being received are pending settlement.

Provided further that where a subscriber ceases to be in employment other than retirement or superannuation, it shall not be treated as exit and he shall have the option to continue his individual pension account, if available under new employment or as voluntarily available to citizens, unless the subscriber prefers a claim as provided under these regulations for withdrawal of benefits.

- (l) The expression "defer" or "deferment" wherever used in these regulations shall mean the postponement or deferment of claims for receiving benefits admissible to a subscriber upon exit from National Pension System.
- (II) Regulation 3 shall be substituted as follows
 - 3. Exit from National Pension System for government sector subscribers.-A subscriber under the government sector shall exit from the National Pension System in any of the manners specified hereunder, namely:-
 - (a) Where the subscriber who, upon attaining the age of superannuation as prescribed by the service rules applicable to him or her, retires, then at least forty per cent. out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum or he shall have a choice to collect such remaining pension wealth

in accordance with the other options specified by the Authority from time to time, in the interest of the subscribers:

Provided that,-

(i) the following shall be the default annuity contract that will be applicable and wherein the annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse

(if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such subscriber, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder, at a premium rate prevalent at the time of purchase of such annuity by utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until all the family members in the order specified below are covered):

- (a) living dependent mother of the deceased subscriber;
- (b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all the family members specified above, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the absence of children, the legal heirs of the subscriber, as may be applicable; In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority.

Further, a subscriber who wishes to opt out of the default option mentioned above and wishes to choose the annuity contract of his choice from the available annuity types or contracts with the annuity service providers, shall be required to specifically opt for such an option.

- (ii) where the subscriber does not desire to withdraw the balance amount, after purchase of mandatory annuity, such subscriber shall have the option to defer the withdrawal of the lump sum amount until he or she attains the age of seventy years, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing, not less than fifteen days prior to his attaining the age of superannuation, to the Central recordkeeping agency or National Pension System Trust or any other approved intermediary or entity authorized by the Authority, in the specified form or in any other manner specified by the Authority;
- (iii) where the subscriber desires to defer the purchase of annuity, he or she shall have the option to do so for a maximum period of three years from the date of attainment of age of superannuation, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form or in any other manner approved by the Authority, at least fifteen days prior to the attainment of age of superannuation, to the Central recordkeeping agency or National Pension System Trust or an intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. It shall be a condition precedent to opt for such deferment of annuity purchase, that in case if the death of the subscriber occurs before such due date of purchase of an annuity after the deferment, the annuity shall mandatorily be purchased by the spouse(if any) providing for annuity for life of the spouse with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse, be re-issued to the family members in the order of preference provided hereunder, at a premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until all the members given below are covered):-
 - (a) living dependent mother of the deceased subscriber;
 - (b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children to the legal heirs of the subscriber as applicable;

(iv) where the subscriber desires to defer the withdrawal of benefits available under National Pension System, the expenses, maintenance charges and fee payable under the National Pension System in respect of the individual pension account/ Permanent Retirement Account, shall continue to remain applicable;.

- (v) where the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees, or a limit as specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity and upon such exercise of this option, the right of such subscriber to receive any pension or other amount under the National Pension System or from the government or employer, shall extinguish;
- (vi) where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified, and up to which he would like to contribute to his individual pension account but not exceeding seventy years of age. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to the age of attaining sixty years or age or superannuation, as the case may be, to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. Upon exercise of the option, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from National Pension System, by submitting a request to central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

(b) where the subscriber who, before attaining the age of superannuation prescribed by the service rules applicable to him or her, voluntarily retires or exits, then at least eighty per cent. out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall mandatorily be utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum or he shall have a choice to collect such remaining pension wealth in accordance with the other options specified by the Authority from time to time, in the interest of the subscribers:

Provided that such annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such subscriber the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder at a premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until all the members given below are covered):-

- (i) living dependent mother of the deceased subscriber;
- (ii) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the case of absence of children, to the other legal heirs of the subscriber, as may be applicable; In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority.

Further, a subscriber who wishes to opt out of the option mentioned above and wishes to choose the annuity contract of his choice, from the available annuity types or contracts with the annuity service providers, shall be required to specifically opt for such an option.

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is more than one lakh rupees or a limit to be specified by the Authority for the purpose but the age of the subscriber is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empanelled annuity service providers as chosen by such subscriber, such subscriber shall continue to be subscribed to the National Pension System, until he or she attains the age of eligibility for purchase of any annuity:

Provided further that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than one lakh rupees or a limit to be specified by the Authority basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity and upon such exercise of this option the right of the subscriber to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish and any such exercise of this option by the subscriber,

before the notification of this provision, , shall be deemed to have been made in accordance with this regulation;

(c) where the subscriber who, before attaining the age of superannuation, dies, then at least eighty percent out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and balance pension wealth shall be paid as lump sum or in another manner from among the options made available by the Authority from time to time to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber:

Provided that,-

(i) such annuity contract shall provide for annuity for life of the spouse of the subscriber (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such

spouse be re-issued to the family members in the order specified hereunder at the premium

rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until all the members given below are covered):-

- (a). living dependent mother of the deceased subscriber;
- (b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children, the legal heirs of the subscriber as applicable. In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority.

- (ii) Provided further that if the accumulated pension wealth in the permanent retirement account of the subscriber at the time of his death is equal to or less than two lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, the nominee or legal heirs as the case may be, shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring to purchase any annuity and upon such exercise of this option the right of the family members to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish;
- (III) (i) Proviso (i) to Sub-clause (a) of Regulation 4 shall be substituted as follows –

Provided that,-

(i) where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified of the age not exceeding seventy years and up to which he would like to contribute to his individual pension account. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to attaining the age of sixty years or age of superannuation, as the case may be, to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. Upon exercise of the option, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

(ii) Proviso to sub-clause (b) of Regulation 4 shall be substituted as follows:

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than one lakh rupees, or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring to purchase any annuity;

- (iii) proviso (ii) to sub-clause (c) of clause (ii) of Regulation 4 shall be substituted as follows:
 - (ii) in case, the nomination is not registered by the deceased subscriber before his death, the accumulated pension wealth shall be paid to the family members on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction.
- (IV) Sub-clause (b) of Regulation 5 shall be substituted as follows:
 - (b) at any time, before attaining the age of sixty years, subject however that at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization shall be paid to the subscriber in lump sum or he shall have a choice to collect such remaining pension wealth in accordance with the other options specified by the Authority from time to time, in the interest of the subscribers;

Provided that for a Swavalamban subscriber, the annuity purchased by utilizing the mandatory minimum of eighty percent out of the accumulated pension wealth ought to yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees per month, failing which the entire accumulated pension wealth shall be annuitised in such a manner so as to yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees and balance if any thereafter shall be paid as lump sum to the subscriber. However there shall be no implicit or explicit guarantee that the annuity purchased even with entire accumulated pension wealth would yield a monthly annuity or pension of one thousand rupees;

Provided that subject to the provisions of this clause, where the accumulated pension wealth does not exceed one lakh rupees or a limit to be specified by the Authority basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, the whole of the pension wealth up to the limit so specified shall be paid to the subscribers who have not availed any Swavalamban co-contribution, without any requirement of annuitisation and further this provision shall be applicable to a subscriber who has availed a Swavalamban co-contribution only if such subscriber has continued in the scheme for a minimum period of twenty-five years;

Provided further that the migration of Swavalamban subscriber or subscribers to any other pension scheme of Government of India and as approved by the Authority shall not be deemed as an exit and withdrawal for the purposes of these regulations.

- (V) Regulation 6 shall be substituted with the following:
- 6. Conditions to apply for exit and withdrawal.- A subscriber registered under the National Pension System shall not exit there from, and no withdrawal from the accumulated pension wealth in the Tier-1 of the Permanent Retirement Account of such subscriber shall be permitted, except in the manner so specified under regulations 3,4, 5 and 8 and further as mentioned in these provisions, namely:-
 - (ii) Sub-regulation(e) shall be substituted with the following:
 - (e)If the subscriber or the family members of the deceased subscriber, upon his death, avails the option of additional relief on death or disability provided by the Government or employer, the Government or employer shall have the right to adjust or seek transfer of the entire accumulated pension wealth of the subscriber to itself. The subscriber or family members of the subscriber availing such benefit shall specifically and unconditionally agree and undertake to transfer the entire accumulated pension wealth to the Government or employer, in lieu of enjoying or obtaining such additional reliefs like family pension or disability pension or any other pensionary benefit from such Government or employer. With the release of such family pension to the eligible family members of the deceased subscriber, the right to claim any benefits under the National Pension System, by any person shall extinguish thereupon including the rights of the nominee as recorded for the purpose of receiving benefits under National Pension System.
 - (iii) Sub-regulation(h) shall be substituted with the following:
- (h) Upon exit of a subscriber from tier-I of the National Pension System, the tier-II account of the subscriber shall also be simultaneously closed and amounts under the said account shall be paid to the subscriber or his nominees or legal heirs as the case may be.

- (ii) Under Regulation 6, new sub-regulation(i) after sub-regulation (h) shall be added as follows:
- (i) With respect to subscribers who have not submitted the withdrawal application as is required under regulation 7 and within one month from the date of attainment of the age of sixty years or the age of normal superannuation as the case may be, for withdrawal of benefits upon exit from national pension system, the accumulated pension wealth in the account of such subscriber (both under tier I and tier II) would be monetized and kept separately as per the guidelines or directions issued by the Authority for the said purpose. The income earned from such safe keeping of the monetized accumulated pension wealth of the subscriber shall form part of the benefits that the subscriber is entitled under the National Pension System. This provision shall apply in respect of such subscribers who have deferred the withdrawal of benefits or have partly withdrawn the benefits and have not taken the steps to completely withdraw the benefits as is required under the regulations and or in the guidelines or directions issued by the Authority for the purpose.
- (iii) Under Regulation 6 new sub-regulation (j) after sub-regulation (i) shall be added as follows:
- (j) With respect to settlement of claims arising out of the accumulated pension corpus of deceased subscribers, where no valid nomination as specified in these regulations exist on the date of death, the Authority may issue suitable directions in the interest of subscribers for settlement of such claims in favour of the family members of the deceased subscriber, up to a specified limit, by requiring such heirs to submit such documents as may be specified.
- (V) Regulation 7 shall be substituted as follows: -
- 7. Conditions of withdrawals under National Pension System.- a subscriber shall submit the withdrawal application along with the required documents, for the purpose of withdrawing the benefits upon exit as provided in these regulations, on or before the expected date of exit from the National Pension System to the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency, acting on behalf of it or any other entity authorized by the Authority. central recordkeeping agency or National Pension System Trust may on receipt of such an application for exit or withdrawal from a subscriber in the specified form and subject to fulfillment of conditions so specified, may allow exit or withdrawals from the National Pension System in the mode and manner permitted under these regulations and guidelines, circulars, orders or notifications issued by the Authority for the purpose:
- (VI) Regulation 8 shall be substituted as follows:-
- 8. The following withdrawals shall be permitted under National Pension System.- (1) A partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent. of the contributions made by the subscriber and excluding contributions made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified below:-
- (A) Purpose: A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five percent. of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only:-
 - (a) for Higher education of his or her children including a legally adopted child;
 - (b) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;
 - (c) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted;
 - (d) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:
 - (i) Cancer;
 - (ii) Kidney Failure (End Stage Renal Failure);
 - (iii) Primary Pulmonary Arterial Hypertension;
 - (iv) Multiple Sclerosis;
 - (v) Major Organ Transplant;

- (vi) Coronary Artery Bypass Graft;
- (vii) Aorta Graft Surgery;
- (viii) Heart Valve Surgery;
- (ix) Stroke;
- (x) Myocardial Infarction
- (xi) Coma;
- (xii) Total blindness;
- (xiii) Paralysis;
- (xiv) Accident of serious/ life threatening nature.
- (xv) any other critical illness of a life threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.
- (B) Limits: the permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit foravailing the benefit are complied with by the subscriber:-
 - (a) the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;
 - (b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by him or her and standing to his or her credit in his or her individual pension account, as on the date of application for withdrawal;
- (C) Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System. The request for withdrawal shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim through their nodal office. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in sub-clause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.
- (2) A subscriber having a valid and active Tier-II account of the Permanent Retirement Account can withdraw the accumulated wealth either in full or part, at any time by applying for such withdrawal, on such application form and in such mode and manner, as may be specified by the Authority in this behalf. There shall be no limit on such withdrawals till the account has sufficient amount of accumulated pension wealth to take care of the applicable charges and the withdrawal amount.

Provided that the Tier-II account shall stand automatically closed at the time of exit of the subscriber from the National Pension System, even if an application so specified for the purpose has not been received from the subscriber, and the accumulated wealth in such account shall be transferred to the bank account provided by the subscriber, while submitting his application for exit from the National Pension System.

- (VII) Regulation 9 shall be substituted as follows:—
 - 9. Withdrawal process.- (1) The National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the said purpose shall be responsible for processing, authorizing and approving the withdrawal and exit claims lodged by the subscriber in accordance with the provisions of the Act, regulations, directions, guidelines issued by the Authority and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, where applicable. The National Pension System Trust shall frame and issue suitable operational processes including online processes or guidelines including the exit or withdrawal forms for facilitating withdrawals and Exit of subscribers from National Pension System after taking due approval from the Authority.
- (VIII) Sub -regulation (1) of Regulation 10 shall be substituted as follows:—
- 10. Conditions of annuity purchase upon exit.- (1) The subscriber, at the time of exit, shall mandatorily purchase an annuity providing for a monthly or periodical annuity or pension as specified in these regulations, excepting those cases where exempted or provided otherwise and to the extent so exempted. Such annuity shall be purchased from an annuity service provider who is empanelled by the Authority.

(IX) In regulation 32, in the proviso, the following a new sub-clause (xii) shall be added after sub-clause (xi) -

- (xii). In respect of subscribers covered under sub-clause(c) of Regulation 3 and sub-clause(c) of Regulation 4, where no valid nomination exists in accordance with these regulations, at the time of exit of such subscriber on account of death, the nomination, if any existing in the records of such subscriber with his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination exercised for the purposes of receiving benefits under the National Pension System. The employer shall send a confirmation of such nomination in its records, to the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency, while forwarding the claim for processing.
- (X) Regulations 33 and 34 shall be omitted
- (XI) Regulation 35 shall be substituted as follows:-
- 35. Providing bank account details.- A subscriber seeking benefits upon exit or withdrawals as permitted under these regulations shall provide the Bank details mandatorily apart from details or copy of Aadhar card issued by Unique Identification Authority of India or details of or copy of Permanent Account Number (PAN) card issued by Income-Tax Department, in order to have the facility of credit of the eligible benefits directly in to the subscriber's or claimants Bank account as applicable.
- (XII) Regulation 37 shall be substituted as follows: –
- 37. Stoppage of last month's deductions by employer.-The monthly contribution consisting of both the employer and employee, as may be applicable and that is required to be deducted for crediting to the subscribers account under the National Pension System by the employers from the salary of such subscriber shall be stopped at least one month prior to the date of superannuation. The employer shall pay such eligible contributions directly to the employee subscriber along with the monthly salary or remuneration that such subscriber is eligible to receive from the employer.
- (XIII) Regulation 39 shall be substituted as follows: –
- 39. Power of the Authority to issue directions and clarifications.-(1)The Authority shall have the power to issue necessary directions, restricting the provisions relating to withdrawals and exit, as the case may be, under these regulations for complying with any requirements to move from any other pension or superannuation schemes or funds to the National Pension System.
- (2) The Authority shall also have the power to issue clarifications and guidelines in order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations or any provision thereof.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./179/17]

Footnote:

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] No. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/ASVINA 14, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

- सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत:—
 - 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।
 - 2. यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
 - 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में,:—

(1)

- (I) विनियमन 2 में, उप-विनियमन (1) में, उपखंड (ट) में|
 - (i) उपखंड (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा —

अभिदाता जो साठ साल की आयु को प्राप्त कर चुका है और सदस्यता को जारी रखने के विशेष अनुमित के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं में किया है, ऐसे अतिरिक्त अविध तक, योगदान देने के साथ या बिना उसके, या उस अभिदाता के संबंध में जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होता है (लेकिन पैसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले) उस योजना की सदस्यता को जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु या इससे पहले की तारीख को अभिदाता से प्राप्त खाता बंद करने के विशिष्ट अनुरोध पर आधारित;

6083 GI/2017

(ii) उपखंड (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा —

ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है या अभिदाता द्धारा एक निश्चित अनुमत समय अवधि तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता हैं और इस अवधि से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती हैं या उस अभिदाता की मृत्यु, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को साठ वर्षों की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (लेकिन पैसठ वर्ष आयु पूर्ण होने से पहले) में शामिल होता है, उस योजना कि सदस्यता जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु से किसी भी समय पहले;

- (॥) विनियम 4 में, उप-नियमन (ग) के बाद, नई उप-विनियम (घ) निम्नानुसार जोड़ दी जाएगी:
 - (घ) अभिदाताओं द्धारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास, साठ साल की उम्र पूर्ण होने या उसके पश्चात (लेकिन पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) ऐसी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने पर:
- (i) उस अभिदाता के मामले में, सर्व नागरिकों या कॉर्पोरेट मॉडल के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हुआ है, साठ साल की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) और ऐसी पेंशन प्रणाली की कम से कम तीन साल की अवधि तक सदस्यता लेने की तिथि से, निकास पर, ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान कर दिया जायेगा। यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन दो लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में परिभाषित सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, तो अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा
- (ii) जहां, उप-खंड (i) के अधीन अभिदाता, जो ऐसे पेंशन प्रणाली में तीन साल पूरा होने से पहले, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से स्वेच्छा से निकास, का विकल्प लेता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकम्श्त रूप से भगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा।

परन्तु, यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा पेंशन धन एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्धारा जारी किए गए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, ऐसे अभिदाता को कोई भी वार्षिकी क्रय किए बगेर पूरे पेंशन धन को वापस लेने का भी विकल्प होगा;

(iii) जहां उप-खंड (i) के अधीन, अभिदता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिदाता की पूर्ण जमा पेंशन धन ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति के अनुसार, नामिति या नामितियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दिया जायेगा।

हेमंत जी, कोंट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./259/17]

पाद लेख:

- 1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र में 11 मई, 2015 को सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
- 2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को सं. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause (g), (h), and (i) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,—

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:—
- (I) In regulation 2, in sub-regulation (1), in sub-clause (k),
 - (i) sub-clause (ii) shall be substituted as follows:
 - a subscriber having attained the age of sixty years, and where so specifically permitted has not exercised a choice in writing to continue to remain subscribed to such system, till such further period as is permissible, with or without making contributions or in respect of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) upon attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme or any date prior thereto, based on the specific request for closure received from subscriber;
 - (ii) sub-clause (iii) shall be substituted as follows:
 - death of the subscriber before attaining the age of superannuation, or the age of sixty years, or in cases where an option has been exercised by subscriber to continue to remain subscribed to a certain permissible time period, death before expiry of such period or death of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) at any time prior to attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme;
- (II) In Regulation 4, after sub-regulation (c), new sub-regulation (d) shall be added as follows:
 - (d) Exit from National Pension System by subscribers, joining such pension system on or after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age):
 - (i) In case of a subscriber, joining National Pension System under all citizens model or in corporate model, on or after attaining the age of sixty years, (but before attaining sixty five years of age) and after having subscribed to such pension system for atleast a period of three years, from the date of such joining, on exit, at least forty percent out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchasing an annuity

(ii) where a subscriber under sub-clause (i) who, before completion of three years in such pension system, voluntarily opts to exit from the National Pension System, at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum.

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than a sum of Rupees one lakh, or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchase of an annuity.

(iii) where a subscriber under sub-clause (i) dies, while being subscribed to National Pension System, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber, in accordance with the provisions of these regulation.

HEMANT G., Contractor, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./259/17]

Footnote:

- 1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August, 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] No. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018

- सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामतः -
- 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 है I
- 2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम. 2015 में:-
- (I) विनियम 3 के उप-विनियम (क) में, नया उप-विनियम (vii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा : (vii) परन्तु, यदि नियोक्ता ये प्रमाणित करता है कि अभिदाता अपने सम्बंधित कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो ऐसे मामले में निकासी को जैसा उप-विनियम (क) के तहत निर्दिष्ट है उस प्रकार माना जायेगा ।
- (II) विनियम 4 के उप-विनियम (क) में, नए उप-विनियम (v) को निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

650 GI/2018 (1)

- (v) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से असक्षम या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामले में निकासी को उप-विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि:
 - **क.** प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अविध में कार्य करने में असमर्थ होगा ; तथा
 - **ख.** उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)
- (III) विनियम 5 के उप-विनियम (क) में, नया उप-खंड (iii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :
 - (iii) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से अक्षम है या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामले में निकासी को उप-विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि:
 - क. प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अवधि में कार्य करने में असमर्थ होगा ; तथा
 - **ख.** उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)
- (IV) विनियम 8 के उप-विनियम (1)(अ) में, नया उप-खंड (ङ) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :
- (ङ) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 1414 / 17]

पादलेख:

- मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/8.— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-
- (I). In regulation 3, in sub-regulation (a), new sub-regulation (vii) shall be added as follows:
 - (vii) provided that if the employer certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of invalidation or disability, the exit shall be determined as specified under sub-regulation(a).
- (II). In regulation 4, in sub-regulation (a), new sub-regulation (v) shall be added as follows:
 - (v) provided that a subscriber is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub_regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or Doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:
 - a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.; and
 - b. Percentage of disability is more than seventy five percent. in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).
- (III) In regulation 5, in sub-regulation (a), new sub-clause (iii) shall be added as follows:
 - (iii) provided that a subscriber who is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub-regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:
 - a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.; and
 - b. Percentage of disability is more than seventy-five percent. in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).
- (IV). In regulation 8, in sub-regulation (1) (A), a new sub-clause (e) shall be added as follows:
- (e) to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.

Footnote:

- 1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] No. 184] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/ वैशाख 28, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत, -

- 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018 है I
- 2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-
- (I) विनियम 3 के उप-विनियम (क) के प्रावधान (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
 - (vi) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बताएगा।

2733 GI/2018 (1)

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमति की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं । जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा के पश्चात्, कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी,जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है I अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थिगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं;

(II) विनियमन 4 के उप-धारा (क) में प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(I) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बतायेगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमित की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं I जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा के पश्चात्, कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी,जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है । अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थिगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं;

(III) विनियमन 6 की उप-धारा (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रपिति या किसी राज्य का राज्यपाल, या किसी संगठन का प्रमुख, किसी कॉपोरेट निकाय या अन्य ईकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, के सम्बन्ध में, जैसा भी मामला हो, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित है, तो नियोक्ता को होने वाली सम्पूर्ण धनीय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर I खाते में नियोक्ता के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य ईकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, जैसा भी मामला हो, सह-अभिदाय के माध्यम से संचित पेंशन धन का भाग या उस पर प्रोद्भूत विनिधान आय को विधारित करने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसी हानि, सम्बंधित नियोक्ता द्वारा ऐसे अभिदाता के विरुद्ध आरम्भ की गयी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सिद्ध होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी ऐसी इकाई को, जिसे ऐसा प्राधिकार दिया गया है, दी गयी किसी सूचना के अनुसरण में और अभिदाता के उक्त पेंशन धन के प्रतिधारण की ईप्सा से विधारण के ऐसे अधिकार का अभिदाता की अधिवर्षिता की तारीख से पहले प्रयोग किया जाएगा। विधारण के ऐसे अधिकार का विधिमान्यतः प्रयोग किये जाने पर:-

- (i) ऐसा पेंशन धन, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है :
- (ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट विधारित रकम का, स्कीम में, ऐसी पद्धित और रीति में अभिदाय के रूप में बनी रहेगी, जिसमें निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा ऐसी कार्रवाई को अपनाकर रखा गया था और विधारित रकम का अंतिम परिनिर्धारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या अन्य इकाई द्वारा सम्बंधित नियोक्ता से समुचित आदेश के प्राप्त होने के सामान्यतः नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;
- (iii) विधारित रकम का, उस निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की ईप्सा की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा हो जाएगी I वह यथा संभव शीघ्र अभिदाता को संदत्त भुगतानकर दिया जाएगा और यह प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;
- (IV) विनियमन 8 की उप-धारा (1) (अ) में मौजूदा प्रावधान (इ.) के पश्चात् प्रावधान (च) एवं (छ) को जोड़ा जाएगा, जो निम्नानुसार हैं:
 - (च) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/ पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I
 - (छ) अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो I

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन**-**III/4/असा./60/18]

पाद लेख:

- मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

NEW DELHI, the 18th May, 2018

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-
- (I) In regulation 3, proviso (vi) to sub-regulation (a) of Regulation 3 shall be substituted as follows:

(vi): where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified, and up to which he would like to contribute to his individual pension account but not exceeding seventy years of age. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to the age of attaining sixty years or age or superannuation, as the case may be to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that such subscriber who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust, within one hundred and eighty days of attaining such age or superannuation. Where an application is received by the National Pension System Trust, from any subscriber, beyond the period of one hundred and eighty days, together with justification and sufficient cause, so shown by the subscriber, the National Pension System Trust, shall cause to forward such application along with its recommendation thereon, for consideration and approval of the Authority.

The authorized officer of the National Pension Trust or Authority, as the case may be, may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter. Upon exercise of the option, by the subscriber, as specified above, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from National Pension System, by submitting a request to central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

- (II) In regulation 4, proviso (i) to sub-regulation (a) of Regulation 4 shall be substituted as follows:
 - (i) Where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified of the age not exceeding seventy years and up to which he would like to contribute to his individual pension account. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to attaining the age of sixty years or age of superannuation, as the case may be, to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that such subscriber who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust, within one hundred and eighty days of attaining such age or superannuation. Where an application is received by the National Pension System Trust, from any subscriber, beyond the period of one hundred and eighty days, together with justification and sufficient cause, so shown by the subscriber, the National Pension System Trust, shall cause to forward such application along with its recommendation thereon, for consideration and approval of the Authority.

The authorized officer of the National Pension Trust or Authority, as the case may be, may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter. Upon exercise of the option, by the subscriber, as specified above, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

- (III). In regulation 6, sub-regulation (c) of regulation 6 shall be substituted as follows:
 - (c) the President of India or the Governor of a State, or the head of the organisation, in respect of a body corporate or other entity under the ownership and control, either of the central government or any state government or a government company, as the case may be, if so specifically provided in the service rules, governing the terms of employment of the subscriber with it, reserves the right of withholding the part of pension wealth, accumulated through co-contributions made by the Central Government or the State Government or any entity under the ownership and control, either of the central government or any state government or a government company, as the case may be, as employer to the Tier-I account of the National Pension System account of the subscriber and the investment income accruing thereon, for the purpose of recovery of the whole or part of any pecuniary loss caused, provided such loss is established, in any departmental or judicial proceedings, initiated against such subscriber by the employer concerned.

Such right of withholding shall have to be exercised prior to the date of superannuation of the subscriber, pursuant to a notice to be given to the National Pension System Trust or an entity to whom such authorization has been given, and seeking to withhold the said pension wealth of such subscriber. Upon such right of withholding being validly exercised:-

- (i). the pension wealth which are payable under the National Pension System shall not be paid to such subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, as the case may be and subject to the final orders, passed in such proceedings.
- (ii). the amount withheld as specified in sub-clause (i) shall remain subscribed to the scheme in the mode and manner in which it was held prior to resorting to such action by the employer specified, and the final settlement of the withheld amount shall be made by the National Pension System Trust, or any intermediary or other entity, authorized for this purpose by the Authority, in normal course within ninety days of the receipt of an appropriate order from the concerned employer;
- (iii). the amount withheld becomes payable to the subscriber on the final settlement, as certified by the employer specified, which has sought withholding of such benefits, and shall be paid to the subscriber as soon as possible and in no case beyond ninety days of receipt of the final order by the National Pension System Trust or any other entity or person, authorized for the purpose by the Authority;
- (IV). In regulation 8, in sub-regulation (1) (A), proviso (f) & (g) shall be added after existing proviso (e), as follows:
 - (f) Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

(g) Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./60/18]

Footnote:

- 1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.

RAKESH Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.19 15:40:24 +05'30'



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] No. 69] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत, -

- 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 है I
- 2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-
- (I) विनियम 4 के उप-विनियम (क) के प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
- (i) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहता है और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा भी मामला हो, के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहता है, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि

1112 GI/2019 (1)

केंद्रीय रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बतायेगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसका नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध नहीं है तथा 60 वर्ष की आयु के बाद भी योजना में बने रहने के विकल्प का प्रयोग, यदि पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर, जैसा निर्धारित है, उसके द्वारा नहीं किया जाता, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और यह माना जाएगा कि ऐसे अभिदाता ने इस विकल्प का प्रयोग किया है और उसके द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसका कर्मचारी-नियोक्ता सम्बन्ध है और जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर, विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा भी मामला हो, के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता है तथा अनुमित की सीमा तक, एनपीएस न्यास को ऐसे विलम्ब के कारणों को बताते हुए लिखित में आवेदन कर सकता है I राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का प्राधिकृत अधिकारी, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है I

इस तरह के विकल्प के प्रयोग या स्वचालित निरंतरता के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीर्पिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं। ऐसे अभिदाता को, एकमुश्त राशि के साथ-साथ वार्षिकी को स्थगित करने के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./545/18]

पादलेख:

- 1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे |
- 5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015: -
- (I) In regulations 4, proviso (i) to sub-regulation (a) of Regulation 4 shall be substituted as follows:
- (i) Where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contributes to his retirement account beyond the age of sixty years, or the age of superannuation, as the case may be, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified of the age not exceeding seventy years up to which he would like to contribute to his individual pension account. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to attaining the age of sixty years or age of superannuation, as the case may be, to the Central Recordkeeping Agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that a subscriber not having any employee-employer relationship and after attaining the age of 60 years not having exercised the option to continue within the period of fifteen days, so stipulated, shall continue in the National Pension System till he attains the age of seventy years as if he has exercised the option and shall be considered as if the consent has been provided by such subscriber.

Provided further that such subscriber having any employee-employer relationship and who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust .The authorized officer of the National Pension Trust may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter.

Notwithstanding exercise of such option or automatic continuation, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. The options of deferment of lump sum as well as annuity shall not be available to such a subscriber.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./545/18]

Footnote:

- 1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
- 5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2019/आश्विन 1, 1941 No. 331] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019/ASVINA 1, 1941

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8,-पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत: -

- इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है I
- यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-
- (I) विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के दूसरे और तीसरे प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

परन्तु यह कि जहां संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक नहीं है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई सीमा के अंतर्गत है, सम्पूर्ण पेंशन धन को वार्षिकीकृत किए बिना ऐसे अभिदाताओं को, जिन्होंने स्वावलंबन सह-अंशदान नहीं लिया है या जिसने स्वावलंबन के तहत सरकारी सह-अंशदान का लाभ तो उठाया है लेकिन लेकिन अटल

4935 GI/2019 (1)

पेंशन योजना में स्वतःप्रवसन के लिए अयोग्य है, सरकार के सह-अंशदान को उस पर जनित रिटर्न्स की कटौती के पश्चात्, योजना में न्यूनतम 25 वर्षों की अवधि तक जारी रहने की आवश्यकता के बिना, वापस कर दिया जाएगा l

स्प**ष्टीकरण-** स्वावलंबन अभिदाताओं अथवा अभिदाताओं का भारत सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना, जिसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल है, में प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गए प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास नहीं माना जाएगा l

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[वि-III/4/असा. /219/19]

पादलेख:

- 1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल / 139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 5. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 6. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी 2019 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/8.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following

regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-
- (I). Second and Third proviso to Sub regulation (b) of Regulation 5 shall be substituted as below-

Provided further that, where the accumulated pension wealth does not exceed one lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, the whole pension wealth shall be paid without annuitisation to the subscribers who have not availed any Swavalamban co-contribution, and also to the subscribers who though have availed Swavalamban co-contribution but are not eligible for auto migration to Atal Pension Yojana, after deducting the Government's co-contribution with returns thereon without requiring them to continue in the scheme for minimum period of twenty-five years.

Explanation— The migration of a Swavalamban subscriber to any other pension scheme of Government of India, including Atal Pension Yojana, as approved by the Authority, shall not be deemed as an exit and withdrawal for the purposes of these regulations.

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT-III/4/Exty./219/19]

Footnote:

- 1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 19th Feb 2019 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.